

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0.112/19 ता0रजु. 2-6-11-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक. 15.10.2020

सरकार

बनाम

गोविन्द, शीलाल, सिरमोहर पुत्र मूल

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मूल ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मूल के खसरा नम्बर $\frac{120}{1366}$ $\frac{120}{1370}$ रकवा 0.78, 0.23 हैक्ट. किस्म भूमि पर सम्बत 2076 में श्री गोविन्द, शीलाल, सिरमोहर 5/10 हल्का मूल से कपुरा मूल तह0 बयाना ने 0.05, 0.04, 0.02 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर $\frac{120}{1366}$, $\frac{120}{1370}$ रकवा 0.05, 0.04, 0.02 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा मूल से वेदखल किया जाता है। लगान 0.044 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 221 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ वेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैंसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न 210
दिनांक 4/2/20
पैन्ल्टी रु 221
2019 E
तहसीलदार
बयाना

तहसीलदार
बयाना